भाजपा पोषित राजेंद्र सिंह ढिल्लों के समक्ष नतमस्तक प्राधिकरण

राकेश भाटी

आये दिन सरकार अवैध निर्माणों, हाऊसिंग सोसाइटियों को राहत देने को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंगों सहित ऐसें निर्माणों को समर्थन एवं राहत देने की वजह से राज्य सरकार एवं सूबे के मुखिया के भ्रष्टाचार मुक्त एवं सहज पर्यावरण के दावे को पलीता लगा उनकी भी छवि को दाग-दार कर रहा है। ऐसें में पार्टी के चर्चित कार्यकर्ताओं द्वारा ही पूर्णतः नियम विरुद्ध आवसीय भवन को बिना लेंड यूज बदलें, खुले आम व्यवसायिक भवन का निर्माण भी सत्ताधिकारी पार्टी की हनक बयां करता हैं। देहरादून के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ढिल्लों द्वारा भाजपा के रसूखदारों के वदहस्त प्राप्त होने का ही जीता जागता उदाहरण है कि उनके द्वारा इंद्रापुरम फेस-1 जी.एम.एस.रोड़ स्थित उनका भवन संख्या 117-एच.आई.जी. एवं उसके ऊपर ही 117-ए-एच.आई.जी. दोमंजिला भवन जो कि आवसीय श्रेणी में दर्ज हैं। हालांकि इस पूरे आवसीय परिसर का निर्माण लगभग सन 1991-92 में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया था। राजेंद्र ढिल्लों द्वारा प्राधिकरण द्वारा तैयार ढांचे एवं नियमानुसार भूखंड में भवन के अतिरिक्त फ्रंट सेटबैक जो छोड़ा गया था, उसके मूल स्वरुप को पूर्णतः नियमों के विपरीत पूरे भूखंड को कवर कर पूरी तरह से आवासीय भवन को खुले आम एक मंजिला और बढ़ा कर अपने भूखंड से उसके छज्जे सड़क की ओर निकाल कर व्यावसायिक भवन का स्वरूप दे दिया एवं उसमें व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में भूतल पर कृष्णा एंटरप्राइजेस के नाम से लेड एसिड बैटरी के शोरूम का संचालन एवं प्रथम तल पर ढिल्लों होम स्टे के नाम से एवं तृतीय तल पर पूर्णतः अवैध रूप से एक हॉल का निर्माण कर उसमें सालों से व्यवसायिक गतिविधियां भी सुचारु कर रखी हैं।

जब इनके इस निर्माण की शिकायत राजेश शर्मा निवासी इंद्रापुरम निवासी ने राजेंद्र सिंह ढिल्लों द्वारा आवसीय फ्लैट को खुर्द-बुर्द कर व्यवसायिक भवन बनाने एवं व्यवसायिक गतिविधियों की साक्ष्यों सहित एक पत्र द्वारा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जब राजेश शर्मा द्वारा उनके पत्र पर हुई कार्यवाही को सूचना का अधिकार द्वारा मांगा गया, तब प्राधिकरण द्वारा जवाब में बताया गया कि स्थल का निरिक्षण किया गया। वहां कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था एवं भवन का ओ.टी.एस. स्कीम के तहत मानचित्र स्वीकृत हैं। इससे तो शिकायत का प्रारूप ही बदल गया। शिकायत क्या और जांच क्या। अब आम जन हो तो यह माना जा सकता हैं कि प्राधिकरण ने निजी हित के चलते भ्रमित किया। वहीं मामला सत्ता दल से जुड़ने का हो तो यह माने कि पूरा प्राधिकरण नतमस्तक हैं। प्राधिकरण द्वारा जबकि सन 2017 में इसी निर्माण पर कार्यवाही के आदेश भी हो गये थे। लेकिन आज तक कार्यवाही न होने से इसमें गाहे-बगाहे माने तो ढिल्लों को कवच रुपी देहरादून भाजपा महानगर कार्यलय का पूर्णतः समर्थन प्राप्त हैं। जिसकी वजह से सरकारी कार्यवाही उनके कवच शक्ति से टकराकर वापस लौट जा रहीं हैं। जिससे ढिल्लों की हनक बरकरार हैं।

अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब कईं शिकायती पत्रों से प्राधिकरण को बार-बार अवगत कराया गया हैं कि पूर्णतः नियम विरूद्ध भवन का निर्माण एवं प्रयोग किया जा रहा हैं। प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर भी भवन का आज भी सीना ताने खड़ा रहना ही उदाहरण है कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने की हनक के चलते पूरा प्राधिकरण मौन होकर लाचार बना हुआ हैं।

वैसे तो आस-पास या यूं कहें कि पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में यह इक्का-दुक्का ही उदाहरण नहीं। क्षेत्रीय अभियंताओं, सुपरवाइजर की मिली-भगत से पूरा प्राधिकरण क्षेत्र ऐसे प्रकरणों से पटा पड़ा हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने की वजह से प्रकरण और भी गर्मा जाता है कि सत्ता के नशे में चूर पार्टी के पदाधिकारी ही इस प्रकार के प्रकरणों में संलिप्त हैं। जिससे पूरी पार्टी कलंकित हो रहीं हैं। पार्टी अभी राजेंद्र सिंह ढिल्लों प्रकरण को गंभीरता से ना ले रहीं हो पर यह तो स्पष्ट हैं कि एक सामन्य कार्यकर्ता के रूप में इतने बड़े-बड़े कारनामों को अंजाम देने एवं उसमें लगातार सफल होने की वजह से स्पष्ट हैं कि पार्टी एवं पार्टी में बैठे उनके आकाओं का उनके ऐसें कृत्यों पर मौन रह, खुला समर्थन जरूर हैं। जिससे उनके हौसलें बुलंद हैं। ऐसें कार्यकर्ताओं की करतूतों के अंजाम तब सामने आते हैं जब सत्ता में रहे दल चुनाव उपरांत ओंधे मुंह कुर्सी से सीधे जमीन पर गिरते हैं और फिर सिर्फ विपक्ष में बैठने एवं ऐसें कार्यकर्ताओं को कोसने के अलावा पार्टी हाइकमान पर कोई रास्ता नहीं रह जाता हैं।

बायें: आवासीय भवन को व्यावसायिक में परिवर्तित कर लेड एसिड बैटरी, होमस्टे एवं पार्टी हॉल जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है।
नीचें: राजेंद्र ढिल्लो का पार्टी लेटर हेड में पते से स्पष्ट है की 117 एच आई जी का प्रयोग कार्यालय के रूप में किया जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी

राजेन्द्र सिंह ढिल्लो
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
महानगर देहरादून

कार्यालय :
117 एच.आई.जी., इन्दिरापुरम्,
जी.एम.एस. रोड, देहरादून
मो.: 7895003850, 9412438058,

प्रेस विज्ञाप्ति

दिनांक 24/9/2024

शिकायती पत्र में व्यवसायिक निर्माण संबधित स्पष्ट शिकायती बिंदु।

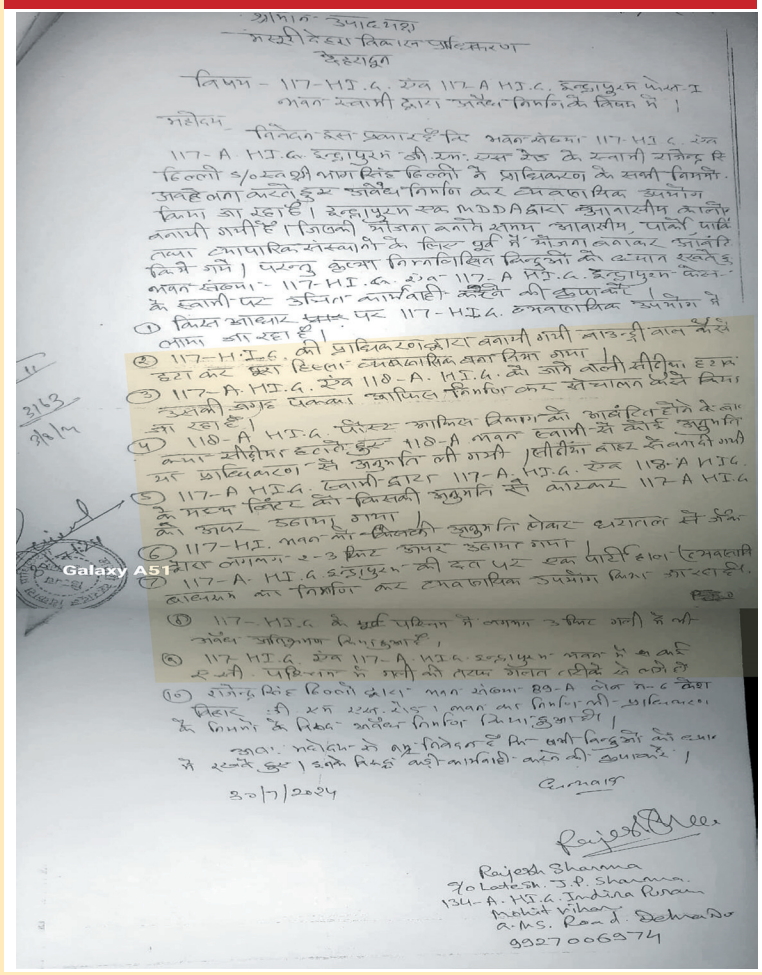

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
आख्या/टिप्पणी

Digitally signed by Rashmi Rana
Date: 2024.10.23 00:08:13 -07:00
Reason: eASE App document signing
Location: Dehradun

शिकायत के सापेक्ष की गई भ्रमित कार्यवाही से संबधित जानकारी की छायाप्रति